(II) 5-9-06

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 991] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 5, 2006/भाद्र 14, 1928
No. 991] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 5, 2006/BHADRA 14, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2006

का.आ. 1429(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **निर्माण; प्रचालन और अंतरण आधार पर सिलफाटा (किलोमीटर 131/200) से निगाड़ी (किलोमीटर 20/400) तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 के मुम्बई-पुणे सेक्सन को चार लेन का बनाने और उसके विकास** में अंतर्वलित व्यय, विनिहित पूंजी पर ब्याज, उचित वापसी, यातायात की मात्रा और **महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय प्रियदर्शिनी पार्क, नेपेनसिया रोड, मुंबई, 400036** में है, के साथ किए गए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर सुविधा के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर फीस उद्गृहीत और संगृहीत की जाएगी और उक्त महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 अप्रैल, 2030 तक उक्त अनुसूची (सारणी-1, सारणी-2क, सारणी-2ख, सारणी-2ग) में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस के संग्रहण और उसे अपने पास रखने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अनुसूची

सारणी-1

पथकर केन्द्रवार फीस के साथ दूरी चार्ट, क = 100 प्रतिशत फीस, ख = 60 प्रतिशत फीस, ग = 30 प्रतिशत फीस (सारणी-2क, सारणी-2ख, सारणी-2ग के अनुसार) :

पथकर केन्द्र 1- सिलफाटा पथकर केन्द्र			पथकर केन्द्र 2 -शेहडंग पथकर केन्द्र			पथकर केन्द्र 3-कुशगांव पथकर केन्द्र			पथकर केन्द्र 4- देहू रोड पथकर केन्द्र		
पथकर केन्द्र	कि.मी	फीस	पथकर केन्द्र	कि.मी.	फीस	पथकर केन्द्र	कि.मी.	फीस	पथकर केन्द्र	कि.मी.	फीस
पथकर केन्द्र 1-	111	क	पथकर केन्द्र 2-	44	ग	पथकर केन्द्र 3-	34	ग	पथकर केन्द्र 4-	34	ग

पथकर केन्द्र- 4			पथकर केन्द्र-3			पथकर केन्द्र 4			पथकर केन्द्र 3		
पथकर केन्द्र 1- पथकर केन्द्र-2	30	ग	पथकर केन्द्र2- पथकर केन्द्र-4	78	ख	पथकर केन्द्र 3 -पथकर केन्द्र 2	44	ग	पथकर केन्द्र4- पथकर केन्द्र 2	78	ख
पथकर केन्द्र 1- पथकर केन्द्र- 3	70	ख	पथकर केन्द्र 2- पथकर केन्द्र-1	30	ग	पथकर केन्द्र 3- पथकर केन्द्र 1	70	ख	पथकर केन्द्र 4- पथकर केन्द्र 1	111	क

सारणी-2क (महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के सिलफाटा से देहू रोड/देहू रोड से सिलफाटा तक सुविधा के उपयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दरें)

पूरी लम्बाई के लिए प्रतिफेरा प्रभारित की जाने वाली 100 प्रतिशत फीस(रु0)-फीस क					
वर्ष	मोटर साइकिल, स्कूटर या यांत्रिक रूप से नोदित कोई अन्य दुपहिया यान	मोटर, कार, टैक्सी, जीप, पिक-अप वैन, स्टेशन वैगन, टैम्पो, ऑटोरिक्शा, तिपहिया स्कूटर अथवा ट्रेलर सहित या रहित अन्य स्वचालित हल्के यान	हल्के वाणिज्यिक यान	ट्रक/बस	भारी यान जिसके अंतर्गत ट्रक, ट्रैलर संयोजन भी है, अन्य यांत्रिक रूप से नोदित यान जो ऊपर उल्लिखित नहीं हैं जैसे मोबाइल क्रेन, डोजर्स, अर्थ मूवर्स, रोड रोलर्स, कंटेनर्स और वैसे ही अन्य यान
राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च, 2008 तक	कुछ नहीं	65	115	229	**492**
1 अप्रैल, 2008 से 31, मार्च, 2011 तक	कुछ नहीं	75	133	265	**570**
1 अप्रैल, 2011 से 31, मार्च, 2014	कुछ नहीं	87	154	307	**659**

तक					
1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2017 तक	कुछ नहीं	101	179	355	763
1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक	कुछ नहीं	117	207	411	884
1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2023 तक	कुछ नहीं	135	240	476	1023
1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2026 तक	कुछ नहीं	156	277	551	1184
1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2029 तक	कुछ नहीं	181	321	638	1371
1 अप्रैल, 2029 से 30 अप्रैल, 2030 तक	कुछ नहीं	210	372	739	1587

सारणी-2ख (महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के सिलफाटा से कुशगांव/कुशगांव से सिलफाटा और शेहडंग से देहू रोड/देहू रोड से शेहडंग तक सुविधा के उपयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दरें)

पूरी लम्बाई के लिए प्रतिफेरा प्रभारित की जाने वाली 60 प्रतिशत फीस (रु0)-फीस ख					
वर्ष	मोटर साइकिल, स्कूटर या यांत्रिक रूप से नोदित कोई अन्य दुपहिया यान	मोटर, कार, टैक्सी, जीप, पिक-अप वैन, स्टेशन वैगन, टैम्पो, ऑटोरिक्शा, तिपहिया स्कूटर	हल्के वाणिज्यिक यान	ट्रक/बस	भारी यान जिसके अंतर्गत ट्रक, ट्रैलर संयोजन भी है, अन्य यांत्रिक रूप से नोदित यान जो ऊपर उल्लिखित

		अथवा ट्रेलर सहित या रहित अन्य स्वचालित हल्के यान			नहीं हैं जैसे मोबाइल क्रेन, डोजर्स, अर्थ मूवर्स, रोड रोलर्स, कंटेनर्स और वैसे ही अन्य यान
राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च, 2008 तक	कुछ नहीं	39	69	137	295
1 अप्रैल, 2008 से 31, मार्च, 2011 तक	कुछ नहीं	45	80	159	342
1 अप्रैल, 2011 से 31, मार्च, 2014 तक	कुछ नहीं	52	93	184	396
1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2017 तक	कुछ नहीं	61	107	213	458
1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक	कुछ नहीं	70	124	247	530
1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2023 तक	कुछ नहीं	81	144	286	614
1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2026	कुछ नहीं	94	166	331	710
1 अप्रैल, 2026 से 31	कुछ नहीं	109	193	383	822

मार्च, 2029 तक					
1 अप्रैल, 2029 से 30 अप्रैल, 2030 तक	कुछ नहीं	126	223	443	952

सारणी-2ग (महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के सिलफाटा से शेहडंग/शेहडंग से सिलफाटा, शेहडंग से कुशगांव/कुशगांव से शेहडंग और कुशगांव से देहू रोड/देहू रोड से कुशगांव तक सुविधा के उपयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दरें)

पूरी लम्बाई के लिए प्रतिफेरा प्रभारित की जाने वाली 30 प्रतिशत फीस (रु0)-फीस ग					
वर्ष	मोटर साइकिल, स्कूटर या यांत्रिक रूप से नोदित कोई अन्य दुपहिया यान	मोटर, कार, टैक्सी, जीप, पिक-अप वैन, स्टेशन वैगन, टैम्पो, ऑटोरिक्शा, तिपहिया स्कूटर अथवा ट्रेलर सहित या रहित अन्य स्वचालित हल्के यान	हल्के वाणिज्यिक यान	ट्रक/बस	भारी यान जिसके अंतर्गत ट्रक, ट्रैलर संयोजन भी है, अन्य यांत्रिक रूप से नोदित यान जो ऊपर उल्लिखित नहीं हैं जैसे मोबाइल क्रेन, डोजर्स, अर्थ मूवर्स, रोड रोलर्स, कंटेनर्स और वैसे ही अन्य यान
राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च, 2008 तक	कुछ नहीं	20	35	69	148
1 अप्रैल, 2008 से 31, मार्च, 2011 तक	कुछ नहीं	23	40	80	171
1 अप्रैल, 2011 से 31, मार्च, 2014 तक	कुछ नहीं	26	46	92	198
1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2017 तक	कुछ नहीं	30	54	107	229

1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक	कुछ नहीं	35	62	123	265
1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2023 तक	कुछ नहीं	41	72	143	307
1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2026 तक	कुछ नहीं	47	83	165	355
1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2029 तक	कुछ नहीं	54	96	191	411
1 अप्रैल, 2029 से 30 अप्रैल, 2030 तक	कुछ नहीं	63	111	222	476

टिप्पण:

1. जब उसी यान को पथकर प्लाजा को एक दिन में एक से अधिक बार पार करना हो तो उपयोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह पहली बार ही उक्त सड़क पार करते समय ऊपर अनुसूची में दी गई दरों पर अनेक बार चक्करों के लिए फीस का संदाय कर दे या यदि उसी यान को पूरे मास में उक्त सुविधा का उपयोग लगातार और बार बार या उससे भी अधिक लम्बी अवधि के लिए करना पड़ता है तो यान का स्वामी पूर्वोक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उसको लागू एकल दरों के तीस (30) गुणा के बराबर प्रभारों का संदाय करके मासिक पास प्राप्त कर सकता है ।

2. रियायतग्राही, स्थानीय व्यक्तिगत यातायात और स्थानीय वाणिज्यिक यातायात से निम्नलिखित मितिकाटा दरों से अधिक कोई फीस का संग्रहण नहीं करेगा, अर्थात् :-

(क) स्थानीय व्यक्तिगत यातायात : विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के यान के लिए लागू फीस का 25 प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए "स्थानीय व्यक्तिगत यातायात" से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्तिगत यान भी है जिसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा रियायतग्राही के साथ रजिस्ट्रीकृत किया गया

है जो सामान्यतया राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त सेक्शन के किसी भाग का उपयोग करके ही पहुंच पाता है और इसलिए ऐसे व्यक्ति से, उसके कार्य स्थान या निवास को जाने और वहां से आने के लिए सामान्य यात्रा के दौरान एक से अधिक पथकर प्लाजाओं को पार किए बिना राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त सेक्शन के एक भाग पर न्यूनीकरण करने के लिए ऐसे यानों का उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है ।

(ख) स्थानीय वाणिज्यिक यातायात : विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के यान के लिए लागू फीस का 50 प्रतिशत।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए "स्थानीय वाणिज्यिक यातायात" से कोई वाणिज्यिक यान अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत एक से अधिक पथकर प्लाजाओं को पार किए बिना परियोजना राजमार्ग पर न्यैत्यिक रूप से चलाए जाने के रूप में रियायतग्राही के साथ रजिस्ट्रीकृत माल और यात्रियों के वहन करने में अभियोजित बस, ट्रक, हल्के मोटर यान या टैक्सियां हैं ।

3. निम्नलिखित प्रकार के यान अनूसूची में ऊपर विनिर्दिष्ट फीस से छूट प्राप्त हैं, अर्थात् :-

(i) रक्षा यान,

(ii) अति महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रतीक वाले यान,

(iii) पुलिस यान,

(iv) अग्नि शमन यान,

(v) एंबूलेंस,

(vi) अन्त्येष्टि यान,

(vii) डाक और तार विभाग के यान, और

(viii) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के कर्तव्यरूढ़ यान ।

4. शासकीय तौर पर निम्नलिखित से संबंधित यान अति महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रतीक वाले यान समझे जाएंगे, अर्थात:-

(i) भारत के राष्टपति,

(ii) भारत के उपराष्ट्रपति,

(iii) केन्द्रीय और राज्य स्तरीय मंत्री, जब वे स्वयं यान में हों,

(iv) लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधानमंडलों में विरोधी दल के नेता, जिनका दर्जा कैबिनेट मंत्री का हो, जब वे स्वयं यान में हों,

(v) राज्य के राज्यपाल,

(vi) संघ राज्यक्षेत्र के उपराज्यपाल,

(vii) केन्द्र और राज्य विधान मंडलों के अध्यक्ष या सभापति,

(viii) संपूर्ण देश के संसद सदस्य यदि वे संसद द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करते हैं,

(ix) राज्य की विधान सभा के सदस्य/राज्य विधान परिषद् के सदस्य, अपने-अपने राज्यों में यदि, वे ,विधानसभा और विधानपरिषद् द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करते हैं,

(x) भारत के शासकीय दौरे पर उच्चपदस्थ विदेशी व्यक्ति,

(xi) सी डी (कार डिप्लोमेटिक)प्रतीकों वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक, और

(xii) शौर्य पुरस्कारों, अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र का विजेता यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित करने वाला पहचान पत्र प्रस्तुत करता है ।

उपरोक्त उल्लिखित दरें पथकर केन्द्र सामीप्य में किसी बोर्ड पर संप्रदर्शित की जाएंगी । संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्ड का पढ़ना आसान हो और वे अंग्रेजी, हिंदी और उस क्षेत्र, जिसमें उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन अवस्थित है, की प्रादेशिक भाषा में

स्पष्ट रूप से लिखे अथवा मुद्रित किए जाएंगे । उक्त महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड या उसका प्राधिकृत विधिक प्रतिनिधि इस अधिसूचना के अधीन फीस की वसूली के प्रत्येक अवसर पर संदायकर्ता को एक रसीद देगा ।

[फा. सं. 12037/97/2002-एमएएच]

पी. एस. राणा, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2006

S.O. 1429(E).— In exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government having regard to the expenditure involved in **four laning and improvements of Mumbai-Pune Section of NH-No.4 from Shilphata (km 131/200) to Nigadi (km 20/400) on Build, Operate & Transfer basis,** interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of agreement entered into with **Maharashtra State Road Development Corporation Limited having its registered office at Priyadarshini Park, Nepeansea Road, Mumbai 400 036,** hereby notifies that there shall be levied and paid fees on mechanical vehicles for the use of facility at the rates specified in the Schedule below and authorizes the said Maharashtra State Road Development Corporation Ltd. to collect and retain the fees at the rates specified in the said Schedule(Table-I , Table- II A, Table-II B, Table-II C) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and until the 30th April, 2030.

SCHEDULE

TABLE-I

Toll station wise distance chart with fee , A= 100% of Fee, B=60% of Fee, C=30 % of Fee (as per Table-II A , Table-II B, Table-II C)

TS1- Shilphata Toll Station			TS-2 Shedung Toll Station			TS-3 Kusgaon Toll Station			TS-4 Dehu Road Toll Station		
Toll Station	Kms.	Fee	Toll Station	Kms.	Fee	Toll Station	Kms.	Fee	Toll Station	Kms.	Fee
TS1-TS4	111	A	TS2-TS3	44	C	TS3-TS4	34	C	TS4-TS3	34	C
TS1-TS2	30	C	TS2-TS4	78	B	TS3-TS2	44	C	TS4-TS2	78	B
TS1-TS3	70	B	TS2-TS1	30	C	TS3-TS1	70	B	TS4-TS1	111	A

TABLE-II A (Rates of fees to be recovered from users of the facility from Shilphata to Dehu Road/ Dehu Road to Shilphata of N.H. No. 4 in the State of Maharasthra)

	100 % Fee for full length to be charged per trip (Rs)-Fee A				
Year	Motor Cycle, Scooter or any other two-wheeler mechanically propelled vehicle	Motor Car, Taxi, Jeep Pick-up Van, Station Wagon, Tempo, Auto-Rikshaw, Three-Wheeler or other auto-driven light vehicle with or without trailer	Light Commercial Vehicle	Truck /Bus	Heavy Vehicles including Trucks Trailers combination ,other mechanically propelled vehicles not mentioned above, like mobile crane, Dozers, Earth Movers, Road Rollers, Containers, and the like
From the date of Publication of the notification in the Office Gazette to 31st March, 2008	Nil	65	115	229	492
the 1st April 2008 to 31st March, 2011	Nil	75	133	265	570
the 1st April 2011 to 31st March, 2014	Nil	87	154	307	659
the 1st April 2014 to 31st March, 2017	Nil	101	179	355	763
the 1st April 2017 to 31st March, 2020	Nil	117	207	411	884
the 1st April 2020 to 31st March, 2023	Nil	135	240	476	1023
the 1st April 2023 to 31st March, 2026	Nil	156	277	551	1184
the 1st April 2026 to 31st March, 2029	Nil	181	321	638	1371
the 1st April 2029 to 30th April, 2030	Nil	210	372	739	1587

2760GI/06—3

TABLE-II B (Rates of fees to be recovered from users of the facility from Shilphata to Kusgaon / Kusgaon to Shilphata and from Shedung to Dehu Road / Dehu Road to Shedung of NH No. 4 in the State of Maharashtra)

	60 % Fee for part length to be charged per trip (Rs) Fee B				
Year	Motor Cycle, Scooter or any other two-wheeler mechanically propelled vehicle	Motor Car, Taxi, Jeep Pick-up Van, Station Wagon, Tempo, Auto-Rikshaw, Three-Wheeler or other auto-driven light vehicle with or without trailer	Light Commercial Vehicle	Truck /Bus	Heavy Vehicles including Trucks Trailers combination ,other mechanically propelled vehicles not mentioned above, like mobile crane, Dozers, Earth Movers, Road Rollers, Containers and the like.
From the date of Publication of the notification in the Official Gazette to 31st March, 2008	Nil	39	69	137	295
the 1st April 2008 to 31st March, 2011	Nil	45	80	159	342
the 1st April 2011 to 31st March, 2014	Nil	52	93	184	396
the 1st April 2014 to 31st March, 2017	Nil	61	107	213	458
the 1st April 2017 to 31st March, 2020	Nil	70	124	247	530
the 1st April 2020 to 31st March, 2023	Nil	81	144	286	614
the 1st April 2023 to 31st March, 2026	Nil	94	166	331	710
the 1st April 2026 to 31st March, 2029	Nil	109	193	383	822
the 1st April 2029 to 30th April, 2030	Nil	126	223	443	952

TABLE-II C (Rates of fees to be recovered from users of the facility from Shilphata to Shedung / Shedung to Shilphata, Shedung to Kusgaon / Kusgaon to Shedung and Kusgaon to Dehu Road / Dehu Road to Kusgaon of NH No. 4 in the State of Maharashtra)

	30 % Fee for part length to be charged per trip (Rs) Fee C				
Year	Motor Cycle, Scooter or any other two-wheeler mechanically propelled vehicle	Motor Car, Taxi, Jeep Pick-up Van, Station Wagon, Tempo, Auto-Rikshaw, Three-Wheeler or other auto-driven light vehicle with or without trailer	Light Commercial Vehicle	Truck /Bus	Heavy Vehicles including Trucks Trailers combination ,other mechanically propelled vehicles not mentioned above, like mobile crane, Dozers, Earth Movers, Road Rollers, Containers and the like.
From the date of Publication of the notification in the Official Gazette to 31st March, 2008	Nil	20	35	69	148
the 1st April 2008 to 31st March, 2011	Nil	23	40	80	171
the 1st April 2011 to 31st March, 2014	Nil	26	46	92	198
the 1st April 2014 to 31st March, 2017	Nil	30	54	107	229
the 1st April 2017 to 31st March, 2020	Nil	35	62	123	265
the 1st April 2020 to 31st March, 2023	Nil	41	72	143	307
the 1st April 2023 to 31st March, 2026	Nil	47	83	165	355
the 1st April 2026 to 31st March, 2029	Nil	54	96	191	411
the 1st April 2029 to 30th April, 2030	Nil	63	111	222	476

NOTES:

1. When the same vehicles has to cross the toll plaza more than once in a day, the user shall have the option to pay one and half times the above rates while crossing the said road in the first trip itself or if the vehicle has to use the facility continuously and quite frequently for entire month or even beyond that for much longer period, the vehicle owner can have a monthly pass on the payment of charges equal to thirty (30) single rate applicable to it as specified in the schedule above.

2. The concessionaire shall not collect any fees from local personal traffic and local commercial traffic in excess of the following discounted rates, namely:-

   a) Local personal traffic: 25% of the applicable fees for the specific category of vehicle.

   Explanation: For the purposes of this clause "Local Personal Traffic" means and includes a personal vehicle which is registered with the concessionaire by any person who normally approaches only by using a part of the said section of the National Highways and such person is therefore, required to use such vehicles for commuting on a part of the said section of the National Highways without crossing more than one of the toll plazas, in the course of normal travel to and from his place of work or residence.

   (b) Local: Commercial traffic: 50% of the applicable fees for the specified category of vehicles.

   Explanation: For the purposes of this clause "Local commercial Traffic" means any commercial vehicle including buses, trucks, light motor vehicles or taxies engaged in carrying goods and passengers registered with the concessionaire as plying routinely on the project highway without crossing more than one of the toll plazas.

3. Following types of vehicles are exempted from the fee specified above in the Schedule namely:-

   (i) Defense vehicles,
   (ii) Vehicles having VIP symbols,
   (iii) Police vehicles,
   (iv) Fire Fighting vehicle,
   (v) Ambulances
   (vi) Funural vans,
   (vii) Vehicles of Department of Posts and Telegraph and
   (viii) Central and State Government vehicles on duty.

4. The vehicles officially belonging to the following shall be deemed to be vehicles having VIP symbols, namely:-

(i) President of India,

(ii) Vice President of India,

(iii) Central and State Ministers while in vehicles,

(iv) Leaders of Opposition in Lok Sabha/Rajya Sabha/State Legislature, having the status of Cabinet Ministers while in vehicles,

(v) Governors of States,

(vi) Lieutenant Governors of Union territories,

(vii) Speakers or Chairman of Central and State Legislatures,

(viii) Members of Parliament of the entire country on production of ID cards issued by the Parliament,

(ix) Members of Legislative Assemblies/ Legislative Councils within the State on Production of ID Card issued by the State Legislative and Legislative Council,

(x) Foreign dignitaries on State visit to India,

(xi) Foreign Diplomats Stationed in India using cars with CD (Car Diplomatic) Symbols and

(xii) Winners of Gallantry Awards namely Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Mahavir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shorya on production of ID Card authenticating the Award by the Competent Authority.

5. The above-mentioned rates shall be displayed on a board in the vicinity of the toll station. The height of display boards and size of letters being such that it is easy for drivers to read the display boards and shall be legibly written or painted in English, Hindi and the regional language of the area on which the National Highway Section is situated. The said Maharashtra State Road Development Corporation Ltd. or its authorized legal representative shall give a receipt to the payer on each and every occasion of recovery of fee under this notification.

[F. No. 12037/97/2002-MAH]

P. S. RANA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.